बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
(अभियंत्रण कोषांग)
विकास भवन, नया सचिवालय,
बिहार, पटना।

अल्पकालीन ई–निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट एवं www.eproc2.bihar.gov.in पर SBDई०–निविदा आमंत्रण सूचना सं०–23 /2025-26

1.	विज्ञापन दाता का नाम एवं पता	:	मुख्य अभियंता, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, अभियंत्रण कोषांग, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना।
2.	निविदा आमंत्रण की तिथि	:	दिनांक–18.09.2025
3.	निविदा कागजात प्राप्त करने (डाउनलोड) करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	दिनांक–25.09.2025,10:00AMसे 03.10.2025 तक (**on website www.eproc2.bihar.gov.in**)
4.	प्री–बीड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान	:	दिनांक–26.09.2025 समय 11:30AM अभियंत्रण कोषांग, विकास भवन कमरा सं०–316, नया सचिवालय, पटना।
5.	निविदा जमा करने (अपलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय	:	दिनांक–03.10.2025 समय 03:00 PM बजे तक।
6.	निविदा खोलने (तकनीकी बीड) की तिथि एवं समय	:	दिनांक–03.10.2025 को 04:00 PM तक (**on website www.eproc2.bihar.gov.in**)
7.	वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय	:	तकनीकी बीड मूल्यांकन के पश्चात्
8.	निविदा बिक्री, प्राप्ति एवं खोलने का स्थान	:	**website www.eproc2.bihar.gov.in**
9.	निविदा की वैधता अवधि (Validity Period)	:	120 दिन
10.	कार्य का विवरणः–		

क्र0 सं0	जिला का नाम	कार्य का नाम (पशुपालन निदेशालय)	प्राक्कलित राशि /परिमाण विपत्र की राशि (रू0 लाख में)	अग्रधन की राशि (रू0 लाख में)	निविदा कागजात/परिमाण विपत्र का मूल्य (रू0 में)	Bid Processing Fee (Through online payment) (अप्रत्यर्पणीय) (रू0 में)	कार्य समाप्ति की अवधि (इन्कुलिंडिग मोनसून अवधि माह में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Construction of Sub Divisional Vetrinary Hospital Building (G+1), Bettiah, in West Champaran Dist.	270.44610	5.41000	10,000.00	As per self generated	10 माह	Two Bid System under SBD Contract
2		Construction of District Resource and Training Centre Building (G+1), Bettiah, in West Champaran Dist.	875.73614	17.52000	10,000.00	As per self generated	12 माह	Two Bid System under SBD Contract

नोटः–1.**Bidders should submit Bid Processing fee through online payment as per amount generated on website www.eproc2.bihar.gov.in.**

11. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक श्रेत्रों में निबंधित हों अथवा राष्ट्रीय स्तर के हों, निविदा मे भाग ले सकते है परन्तु चयनित निविदाकार को कार्य आवंटन के बाद पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग में समुचित क्षेणी में ऑनलाईन निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

12. (i) ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु इच्छुक संवेदकों का ई–टेन्डरिंग के Service Provider के पास निबंधन कराना होगा जिससे उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) एवं पासवर्ड (Passoword) प्राप्त होगा। आवश्यक निबंधन हेतु प्रपत्र बेवसाइट **www.eproc2.bihar.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदाकार User ID एवं पासवर्ड (Passoword), DSC (Digital Signature Certificate) एवं इन्टरनेट के उपयोग से ई–टेन्डर की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगें। ई–निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी Email ID:- **eproc2support@bihar.gov.in** से सुबह 8:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।साथ ही, ई–निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी **eproc2.0 Help Desk** address-MJUNCTION Servies Ltd., R.J. Complex, 2nd Floor, Khajpura Ashiana Road, P.S.-Shastri Nagar, Patna-800014 से प्राप्त किया जा सकता है।

(ii) निविदाकारों को सिर्फ वेबसाईट से ही निविदा कागजात/परिमाण विपत्र प्राप्त (डाउनलोड) एवं वेबसाईट पर जमा (अपलोड) करना होगा। निविदा सम्बन्धित किसी प्रकार का शुद्वि– एवं वित्तीय बीड खोलने इत्यादि की जानकारी विभागीय वेबसाईट अथवा **www.eproc2.bihar.gov.in.** से प्राप्त होगी।

13. निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee+ Service Tax" निम्न विधि से जमा करने होगाः–

(i) "Bid Processing Fee" is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet payment gateway (Credit/debit Card), Net banking. NEFT/RTGS. Challan to Bid Processing Fee Account of BSEDC. ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी।

(ii) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal **https://eproc2.bihar.gov.in/**before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."

14. (i) e-proc 2.0 में परिमाण विपत्र की राशि Internet Payment Gateway/Challan के माध्यम से ही लिया जाना है।

(ii) e-proc 2.0 प्रणाली के तहत् online विधि से समर्पित EMD (अग्रधन की राशि) स्वीकार किये जायेगें। यदि किसी निविदाकार द्वारा EMD के रूप में e.B.G. जमा किया जाता है, तो संवेदक निविदा कागजात के साथ e.B.G. को Scan कर अपलोड करेंगे। **पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अन्तर्गत पशुपालन निदेशालयों अधीन कार्यों के लिए निदेशक (पशुपालन), बिहार, पटना के** नाम से विधिवत प्रतिज्ञिप्त एवं निविदा प्राप्ति की तिथि से कम से कम छः महीनों के लिए विधिमान्य e.B.G भारत के किसी Schedule/राष्ट्रीय बैंक के बिहार राज्य अवस्थित किसी शाखा से निर्गत होना आवश्यक होगा, जिसका ऑनलाईन सत्यापन की व्यवस्था होगी।

(iii) सभी मूल कागजात यथा घोषणा का शपथ पत्र मूल में, परिमाण विपत्र के मूल्य के लिए जमा की गई राशि का प्राप्ति रसीद तथा अग्रधन के रूप में जमा किएजानेयोग्य e.B.Gअथवा Online Mode में जमा किए गए राशि का प्राप्ति रसीद (जो भी लागू हो) पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना के आदेश सं०–07 दिनांक–10.01.2024 के आलोक में अग्रधन (मूल में) जमा नहीं किया जाना है।

(iv) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

(v) बीड प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाईन मोड यानि इन्टरनेट भुगतान गेटवे (क्रेडिट/डेबिट कार्ड), नेट बैंकिंग, एन ई एफ टी/आर टी जी एस के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य है। आवश्यक ऑनलाईन भुगतान के साथ बीड, इस निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित तिथि एवं समय से पहले,

ई–प्रोक्योरमेण्ट पोर्टल **www.eproc2.bihar.gov.in.** पर अपलोड किया जाना आवश्यक है। इन्टरनेट कनेक्सन, नेटवर्क ट्रैफिक/अवकाश (छुट्टियाँ) या अन्य किसी भी कारण से हुए विलम्ब/निविदा सबमिट (Submit) नहीं होने/ऑनलाईन के रीकनसीलिएशन (Reconciliation) नहीं होने की स्थिति के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

(vi) संवेदक स्कैन कर कागजात को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक सं०/पृष्ठसं० के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी अभिलेख पीडीएफ (Pdf), एमएस ऑफिस (MS Office) कम्पेटीबिलिटी मोड (Compatibillity Mode), जेपीईजी फॉरमेट (JPEG Format) में ही अपलोड (Upload) किये जाए, अन्य फारमेट (Format) में अपलोड डॉक्यूमेंटस (upload documents) के डाउनलोड/ओपेन (Download/open) नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(vii) संवेदक स्कैन कर अपलोड किए गये कागजातों की डाउनलोडेबिलिटी/विजिबिलिटी (Downloadability /Visibillity), से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।

(viii) इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाइयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।

(ix) बीड प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित तिथि को 12:00 बजे रात्रि से निविदा डालने के निर्धारित समय के पूर्व यदि **www.eproc2.bihar.gov.in.** का लगातार 2 घंटे से अधिक समय के लिए सर्वर डाउन होने की स्थिति में निविदा डालने की तिथि स्वतः अगले दिन के लिए निर्धारित समय तक विस्तारित हो जाएगी।

15. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी एवं सामग्री स्थल इत्यादि की जानकारी, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेन संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

16. राज्य सरकार /भारत सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यों से वंचित (debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होगें। यदि वे तथ्यों को छुपाते हुए निविदा डालते हैं, तो इसकी सारी जिम्मेवारी उनकी होगी तथा उनके निबंधन के विरूद्व बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 एवं अन्य स्थापित प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

17. निविदा सूचना की अन्य शर्त्तो को पूरा करने के बावजूद किसी संवेदक की निविदा मान्य नहीं होगी यदिः–

(क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाले तथ्य समर्पित किये गये हैं।

(ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का Record खराब रहा हो, यथा उन्होंने आवंटित कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, संविदा की शर्त्तो के अनुसार सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में अत्यधिक विलम्ब किया हो, या उनके पास पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लंबित हो। विवाद (Litigation) का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता (Financial Insolvency) सिद्ध हुई हो।

(ग) पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित सस्थाओं के पदधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पूर्व में Black Listed है तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

18. सशर्त्त निविदा मान्य नहीं होगी।

19. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किसी कार्य को या किसी कार्य के अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

20. **परिमाण विपत्र का मूल्य**

निविदा का परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) ऑनलाईन मोड में **website www.eproc2.bihar.gov.in** पर जमा करना ही मान्य होगा। परिमाण विपत्र की राशि घट–बढ़ सकती है, तद्नुसार अग्रधन (EMD) की राशि एवं परिमाण–विपत्र का मूल्य घट–बढ़ सकता है।

21. **<u>निविदा प्रस्ताव के साथ जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजातः–</u>**

अपलोडेड कागजात स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए, जिसे स्वसत्यापित माना जायेगा। निविदा दर प्रस्ताव के साथ तकनीकी बीड में एक पृथक पृष्ठ (चेकलिस्ट) पर निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों/वांछित सूचनाएँ पृष्ठ सं० के साथ अंकित करते हुए अपलोड (UPLOAD) किया जाना हैः–

21.1 ऑनलाईन मोड में **www.eproc2.bihar.gov.in** के प्रावधान के अन्तर्गत जमा राशि/e-BG की Scan प्रति अपलोड करना होगा जो निविदा प्राप्ति की तिथि से कम–से–कम छः महीनों के लिए विधि माान्य हो।

21.2 साझेदारी फर्म/कम्पनी के मामले में बीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की छाया प्रति।

21.3 पैन कार्ड की छाया प्रति।

21.4 GSTनिबंधन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।

21.5 संवेदक के अधीन चल रहे कार्यों एवं लंबित कार्यों की राशि सहित सूची। यदि कोई कार्य नहीं चल रहा हो अथवा कोई कार्य लंबित नहीं हो तो इस आशय का शपथ पत्र/घोषणा पत्र।

21.6 घोषणा का शपथ–पत्र (विहित प्रपत्र में) की छाया प्रति।

21.7 अभियंत्रण संगठन का पूर्ण ब्यौरा जिसमें योग्यता प्राप्त अभियंताओं का संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव व पर्याप्त संख्या में तकनीकी सुपरवाइजरी स्टाफ की पूर्ण विवरणी के साथ संवेदक (नियोजनकर्ता) तथा नियोजित अभियंता का प्रति शपथ–पत्र एवं नियोजित अभियंता के भौक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।

21.8 कार्य में प्रयुक्त होने वाले यंत्र–संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों का स्वामित्व प्रमाण–पत्र अथवा संवेदक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म से यंत्र संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकारणों के उपलब्ध कराने का शपथ पत्र एवं जिस व्यक्ति/फर्म जिससे यंत्र संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरण प्राप्त किया जा रहा हो का प्रति शपथपत्र तथा उसके अधीन यंत्र–संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों का स्वामित्व प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

21.9 समरूप कार्य/असैनिक कार्य का कार्यपालक अभियंता स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

21.10 विगत पाँच वर्षों में कम–से–कम तीन वर्षों का चार्टड अकाउंटेंट (Charted Accountant) द्वारा ऑडिटेड वार्षिक टर्न ओवर UDIN सहित (w.e.f-1जुलाई 2019) की छाया प्रति, UDIN नम्बर अंकित नहीं रहने पर डॉक्यूमेंट को वैध नहीं माना जायेगा।

22. कार्यावंटन के पश्चात् बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प एवं परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का निर्माण कार्य में पालन करना अनिवार्य होगा।

23. **<u>प्रतिशत दर निविदा</u>**

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाय। अंक एवं शब्दों में अंकित दर में अंतर आने पर उस संवेदक का निविदा अमान्य कर दिया जा सकता है।

(ख) पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0 447 (S) दिनांक 16.01.2020–सह–पठित ज्ञापाक 448 (S) दिनांक–16.01.2020 के द्वारा प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा को तत्काल समाप्त कर दी गयी है। परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाली निविदा के लिए Additional Performance Guarantee का प्रावधान निर्गत अधिसूचना के अनुसार देना अनिवार्य होगा।

24. निविदादाता निविदा अपलोड करते समय एक शपथ–पत्र अपलोड करेंगे जिसमें यह वर्णित होना चाहिए कि वह बिहार सरकार/भारत सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/आदि से डिबार/कालीकृत नहीं हैं। निविदा प्राप्ति के उपरांत एवं निविदा निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान यदि संवेदक को कार्यपालक अभियंता/अथवा संबंधित सक्षम प्राधिकार के द्वारा Poor Performance कार्य शैली के आधार पर डिबार किया जाता है तो निविदा में भाग लेने के लिए cut off date निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि मान्य होगी । तद्नुसार निविदा का निस्तार किया जाएगा। यदि निविदा प्राप्ति के उपरांत एवं निविदा निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान यदि संवेदक का ऐसा कृत्य संज्ञान में आता है जिसके कारण अभियंता प्रमुख द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कडिका–11(क) के तहत उन पर अपराधिक मामला बन जाता है अथवा निबंधन कालीकृत/निलंबित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इसका प्रभाव कार्य आवंटन तक होगा।

25. <u>**घोषणा के शपथ–पत्र का विहित प्रारूप**</u>

"मैं, अधोहस्ताक्षरी (साफ–साफ बड़े अक्षरों में नाम)..

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री ....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि–

(क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर किसी कार्य को विखंडित (Rescind) नहीं किया गया है।

(ग) मेरे/हमारे कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई /बहन तथा इसी तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/ पदाधिकारी /लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं है।

उपर्युक्त कंडिका 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा, किसी भी स्तर पर कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा। चूँकि संवेदको का निबंधन पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा वर्तमान में नहीं हो रहा है, इसलिए संवेदकों को बिहार PWD संहिता के आलोक में के बिहार ठीकेदारी निबन्धन नियमावली–2007 के सुसंगत कंडिकाओं के तहत निबंधन करने वाले विभाग/सक्ष्म प्राधिकार को नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा करते हुए पशु एवं मत्स्य विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाओं के लिए उक्त नियमावली के आलोक में तत्कालिक दण्डात्मक कार्रवाई यथा आगामी निविदाओं से वंचित (Debar) एवं विधिसम्मत अन्य कार्रवाई किया जाएगा। **यदि यह बाध्यकारी शर्त संवेदकों को मान्य हो, तभी वे निविदा में भाग लें।**

26. इस निविदा में S.B.D Contract में निहित प्रावधानलागू होंगे।

27. निविदा में S.B.D Contract केकंडिका 2A विलोपित समझा जाए ।

28. <u>**चरित्र प्रमाण–पत्र**</u>

गृह विभाग के पत्रांक–29 दिनांक–25.01.2021 के आलोक में कार्य का आवंटन निविदा के माध्यम से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों (संवेदक एवं उपसंवेदकों) से जिला पुलिस के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एकरारनामा के पूर्व समर्पित करना अनिवार्य होगा।

28.1 चरित्र प्रमाण–पत्र की प्रति। (LOA निर्गत होने के बाद एकरारनामा के पूर्व अद्यतन वैध चरित्र प्रमाण जमा करना अनिवार्य होगा)

28.2 अद्यतन वैध चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक से निर्गत होना चाहिए, जिस जिले का पता संबधित पहचान–पत्र निबंधन में अंकित है।

28.3 पार्टनरशिप एवं कम्पनी के मामले में प्राइम पार्टनर का आचरण प्रमाण पत्र आवश्यक है।

28.4 जिस आचरण प्रमाण–पत्र में वैध अवधि उल्लेखित नहीं है उसके आचरण प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से छः माह मानी जायेगी और उसे सामयिक रूप से वैध अवधि का updation (अद्यतन) करना होगा।

(5)

29. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा से संबंधित कागजातों में यदि कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है तो इस निविदादाता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी एवं निबंधन को निलंबित करने की भी कार्रवाई की जाएगी।

30. Landscape कार्य के साथ परियोजना एवं परियोजना के सभी अवयवों के लिए दोष दायित्व अवधि (Defect Liability Period) यानि DLP संबंधित उपयोग कर्त्ता कार्यालय/प्राधिकार को पूरी तरह से हस्तान्तरण के बाद 03 (तीन) वर्ष के लिए होगा।

31. निविदादाता निविदा में भाग लेने से पूर्व संबंधित ड्राइंग, डिजाइन, विशिष्टिता एवं कार्य स्थल की वास्तविक स्थिति से अवगत होकर ही अपना दर उद्धृत करेंगें। कार्य स्थल पर मिट्टी, बालू भराई, अतिरिक्त सामग्री ढुलाई इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

32. निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले प्रत्येक सामग्री की गुणवत्ता की सम्पुष्टि इंजीनियर इंचार्ज से कराने के बाद ही उसका उपयोग संबंधित कार्यों में करना होगा।

33. अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या–2377 (भ) दिनांक–16.03.2023 के अनुरूप "Contract Clause -25 Settlement of Disputes and Arbitration- The settlement of Disputes and Arbitration shall be done in accordance with the provisions made in Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008". लागू होगा।

34. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निविदादाता को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी वैधानिक स्वीकृति (Firefighting, environment clearance सहित) लेनी होगी एवं इसके लिए बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी भी देनी होगी।

ह०/–
मुख्य अभियंता
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–........................ पटना–15, दिनांक–................/............../2025

प्रतिलिपिः–निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रचार हेतु प्रकाशनार्थ एवं www.prdbihar.gov.in पर विस्तृत NIT की Soft & Hard Copy सहित अपलोडिंग हेतु प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक–........................ पटना–15, दिनांक–................/............../2025

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विस्तृत NIT की प्रति अवलोकनार्थ एवं सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह०/–
मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक–........................ पटना–15, दिनांक–................/............../2025

प्रतिलिपिः–निदेशक (पशुपालन), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाईहेतु प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक–....359....... पटना–15, दिनांक–.....18..../...09..../2025

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर,पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/09/2025
मुख्य अभियंता।